



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062021-227756
CG-DL-E-22062021-227756

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2257]
No. 2257]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 21, 2021/ज्येष्ठ 31, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 21, 2021/JYAISTHA 31, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 21 जून, 2021

का.आ. 2435(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 564 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
564	एनई 5	हरियाणा राज्य में जसौर खेड़ी गांव के निकट केएमपी (कुंडली-मानेसर-पलवल) एक्सप्रेसवे के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर खरखोदा, गोहाना, बुटाना, कलायत, बरता, पंजाब राज्य में गुलजापुरा, पतरान, भवानीगढ़, धुरी, मलेरकोटला, अहमदगढ़, मुल्लनपुर ढाका, नूरमहल, कंगसाहबू, करतारपुर, गुरदासपुर बाइपास, बालसुआ, राजबाग, चडवाल, घगवाल, जटवाल, सुपवाल,

		डोमेल को जोड़ते हुए और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में कटरा के निकट रारा-144 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला एक्सप्रेसवे (निर्माणाधीन)
--	--	---

[फा. सं. एनएच-14012/9/2020-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और उसके पश्चात अधिसूचना संख्या का. आ. 2165(अ), दिनांकित 7 जून, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi the 21st June 2021

S.O. 2435(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial number 564 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
564	NE 5	The Expressway (under construction) starting from its junction with KMP (Kundli- Manesar-Palwal) expressway near Jasaur Kheri village connecting Kharkhoda, Gohana, Butana, Kalayat, Barta in the State of Haryana, Gulzapura, Patran, Bhawanigarh, Dhuri, Malerkotla, Ahmedgarh, Mullanpur Dhaka, Nurmahal, Kangsahbu, Kartarpur, Gurdaspur Bypass, Balsua in the State of Punjab, Rajbagh, Chadwal, Ghagwal, Jatwal, Supwal, Domel and terminating at its junction with NH No. 144 near Katra in the Union Territory of Jammu and Kashmir .

[F. No. NH-14012/9/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Director